333

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(25)नविवि/3/2006 जयपुर, दिनांक 31 OCT 2011

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18.08.2011 के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/राजस्थान आवासन मण्डल/नगर विकास न्यास/नगर निगम/नगर परिषद/पालिका द्वारा विगत वर्षो में ई.डब्ल्यू.एस., एल.आई.जी. एवं मध्यम वर्ग के मकानों पर मासिक किश्तों का भुगतान समय पर नहीं किये जाने के कारण ब्याज राशि एवं शास्ति में दिनांक 31.03.2012 तक छूट प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे।

उक्त आदेश की निरन्तरता में यदि ई.डब्ल्यू.एस., एल.आई.जी. एवं मध्यम वर्ग के मकानों की पूरी किश्तें जमा हो चुकी हैं एवं केवल ब्याज व शास्ति बकाया है तो जनहित में उक्त बकाया ब्याज व शास्ति में 100 प्रतिशत छूट दिनांक 31.03.2012 तक प्रदान किये जाने की शासकीय स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पी0के0देब)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, नगरीय शासन विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
5. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. समस्त जिला कलक्टर.......... (राजस्थान)।
7. उप शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
8. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
9. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को सूचित करावें।
11. सचिव, नगर सुधार न्यास.................(समस्त)
12. रक्षित पत्रावली।

24/10/2011
(एन.एल.मीना)
शासन उप सचिव–तृतीय

Goyal Narendra/UDH/Or/ /2011